

TRAI NOTIFICATION



TRAI'S RESPONSE TO STAR

Implementation of Reference Interconnect Order (RIO) dated 01.01.2020 by M/s Star India Pvt.
Ltd. (SIPL)

TRAI notified the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Tariff Order, 2017 (Tariff Order 2017) dated 03.03.2017 (Tariff Order, 2017). The said tariff order has been further amended on 01.01.2020 vide the

Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Second Amendment) Order, 2020 (Tariff Amendment Order 2020).



Telecom Regulatory Authority of India

Some broadcasters and other stakeholders challenged various provisions of Tariff Amendment Order 2020, Interconnection Amendment Regulations 2020 and QoS Amendment Regulations 2020 in various High Courts including in the Hon'ble High Court of Bombay vide Writ Petition (L) No. 116 of 2020 and other connected matters therewith.

Even though no ad-interim/interim orders were passed by the Hon'ble Court restraining TRAI from implementation of the amended Regulations 2020 and Tariff Amendment Order 2020, TRAI did not take any coercive steps or measures to implement the said Regulations and Tariff Order, as the matter was being heard in Hon'ble High Court of Bombay.

TRAI has received representations from several DPOs that they are in receipt of letter from M/s SIPL intimating that the RIO dated 01.01.2020,

uploaded on M/s SIPL's website will be effective from 01.10.2020 and the same needs to be signed by DPOs. In their representations, it has also been mentioned that the said RIO is not in compliance with Tariff Amendment Order 2020.



The proceedings in the Hon'ble High Court of Bombay in the above-mentioned matter are underway. Further, the Hon'ble Court has not restrained any stakeholder from implementing the amended Regulations 2020 and Tariff Amendment Order 2020.

Accordingly, the broadcasters, including M/s SIPL have either maintained status quo by way of extension of interconnection agreements entered with DPOs based on

स्टार को ट्राई का जवाब

मेसर्स स्टार इंडिया प्रा.लि. (एसआईपीएल) द्वारा दिनांक 01.01.2020 के रेफ्रेंस इंटरकनेक्शन आदेश (आरआईओ) का प्रस्तुतिकरण

ट्राई ने दूरसंचार (प्रसारण व केबल) सर्विस टैरिफ आदेश, 2017 (टैरिफ आर्डर 2017) को दिनांक 03.03.2017 को अधिसूचित किया था। उपरोक्त टैरिफ आदेश को टेलीकम्युनिकेशन (प्रसारण व केबल)

सर्विस (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 (टैरिफ संशोधन आदेश 2020) की सहायता से 01.01.2020 को फिर से संशोधित किया गया।

कुछ प्रसारकों व अन्य हितधारकों ने टैरिफ संशोधन आदेश 2020 इंटरकनेक्शन संशोधन

विनियम 2020 और क्यूओएस संशोधन विनियम 2020 के विभिन्न प्रावधानों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गयी जिनमें 2020 के माननीय उच्च न्यायालय में 2020 के रिट-पिटीशन (एल) संख्या 116 और इससे सर्विधत अन्य समस्त मामलों को इसमें शामिल कर दिया।

भले ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ट्राई के संशोधित विनियम 2020 और टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के कार्यान्वयन को रोकते हुए कोई भी अंतर-अंतरिम/अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था, लेकिन ट्राई ने उक्त विनियमों और टैरिफ आदेश लागू करने के लिए कोई कठोर कदम या उपाय नहीं किये, क्योंकि माननीय वंबई उच्च न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई जारी थी।

ट्राई को कई डीपीओ से प्रतिनिधित्व मिला हुआ है कि वे मेसर्स एसआईपीएल से पत्र प्राप्त करने के लिए सूचित कर रहे हैं कि आरआईओ दिनांक 01.01.2020 मेसर्स एसआईपीएल की वेवसाइट पर

अपलोड किया गया है कि जो 01.10.2020 से प्रभावी होगा और उस पर डीपीओ द्वारा हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। उनके प्रतिनिधित्व में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त आरआईओ टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के अनुपालन में नहीं है।

उपरोक्त मामले में बंबई उच्च न्यायालय में कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने किसी भी हितधारक को संशोधित विनियम 2020 और टैरिफ संशोधन आदेश 2020 को लागू करने से प्रतिबंधित नहीं किया है।

इसके अनुसार मेसर्स एसआईपीएल सहित प्रसारकों ने या तो 01.01.2020 से पहले उनके द्वारा प्रकाशित आरआईओ के आधार पर डीपीओ के साथ दर्ज किये गए इंटरकनेक्शन समझौते के विस्तार के माध्यम



TRAI NOTIFICATION



RIOs published by them prior to 01.01.2020 or have filed RIOs as per the provisions of amended Regulations 2020 and Tariff Amendment Order 2020. The new RIOs filed by these broadcasters are fully compliant with the new framework notified on 01.01.2020.

Therefore, M/s Star India Pvt. Ltd. is hereby advised to maintain the status-quo as it was prior to 01.01.2020 and withdraw their letters to DPOs vide which non-compliant RIOs have been sought to be effected from 01.10.2020. Alternatively, M/s SIPL, if it so wishes, file new RIOs as per the provisions of amended Regulations 2020 and Tariff Amendment Order 2020.

A compliance report in this regard may be furnished to TRAI office by 30.09.2020 failing which appropriate action as per provisions of TRAI Act, 1997 shall be initiated. ■

से यथास्थिति बनाये रखी या संशोधित विनियम 2020 और टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के प्रावधानों के अनुसार आरआईओ दायर किये हैं।इन प्रसारकों द्वारा दायर नये आरआईओ 01.01.2020 को अधिसूचित नये ढ़ांचे के साथ पूरी तरह अनुपालन करते हैं।इसलिए मेसर्स स्टार इंडिया प्रा.लिमिटेड द्वारा यथास्थिति बनाये रखने की सलाह दी जाती है जैसे कि यह 01.01.2020 से पहले था और डीपीओ द्वारा अपने पत्र को वापस ले लिये गये थे जिसमें गैर-अनुपालन आरआईओ को 01.10.2020 से प्रभावी करने की मांग की गयी थी।वैकल्पिक रूप से मेसर्स एसआईपीएल, अगर ऐसा है, तो संशोधित विनियम 2020 और शुल्क संशोधन आदेश 2020 के प्रावधानों के अनुसार नये आरआईओ दाखिल करें।

इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट 30.09.2020 तक ट्राई कार्यालय में दिये जा सकते हैं जिसमें ट्राई अधिनियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू हो जायेगी। ■

